रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92 REGD. NO. D.L.-33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 249] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 15, 1992/अग्रहायण 24, 1914
No. 249] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 15, 1992/AGRAHAYANA 24, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be field as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना सं. 88/पी एन/92–97

नई दिल्ली, दिनांक 15 दिसम्बर, 1992

विषय :—रुपया भुगतान क्षेत्र वाले देशों से अपरिष्कृत हीरों का आयात ।

फाइल सं. 12/11/92-ई पी सी.—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं. 55/(पी एन)/92–97 दिनांक 25 सितम्बर, 1992 की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

2. पूर्वोक्त सार्वजनिक सूचना सं. 55/(पी एन) /92–97 दिनांक 25-9-1992 के पैरा 2 में निहित प्रावधानों का अधिक्रमण करते हुए यह तय किया गया है कि निर्यात-आयात नीति, 1992—97 के पैरा 21 के प्रावधानों के तहत रुपया भुगतान क्षेत्र वाले देशों से आयात करने के लिए जारी किए गए एक्जिय स्क्रिप्स या आर ई पी लाइसेंसों का इस्तेमाल नीचे बताई गई प्रक्रिया/नीति के अनुसार रुपया भुगतान क्षेत्र वाले देशों से "अपरिष्कृत हीरों" के आयात के लिए सामान्य मुद्रा क्षेत्र वाले देशों को तराशे हुए तथा परिष्कृत हीरों के निर्यात के उद्देश्य के लिए किया जा सकता है :—

(1) रुपया भुगतान क्षेत्र वाले देशों से अनुमित अपरिष्कृत हीरों का कुल सकल आयात 6 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगा और ऐसे आयात 31 दिसम्बर 1992 तक ही अनुमेय हैं ;

(2) आयात केवल बम्बई सीमाशुल्क के जरिये अनुमित होगा;

(3) संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात–निर्यात, बम्बई तदथ लाइसेंस जारी करने के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकारी होगा;

(4) वैध एक्जिम स्क्रिप/आर ई पी लाइसेंसों को रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद / भारतीय निर्यात संगठन महासंघ द्वारा जारी किए गए पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाणपत्र की एक प्रति तथा अपेक्षित आवेदनशुल्क सहित संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, बम्बई के सुपुर्द कर दिया जाएगा;

(5) संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात, बम्बई वैध एक्जिम स्क्रिप/आर ई पी लाइसेंसों को निरस्त करेंगे तथा एक तदर्थ लाइसेंस जारी करेंगे जो कि केवल रुपया भुगतान क्षेत्र वाले देशों से अपरिष्कृत हीरों का आयात करने के लिए वैध होंगे। इस लाइसेंस को केवल भारतीय रुपयों में अधिनामित किया जाएगा ;

(6) तदर्थ लाइसेंस और इसके मद्दे आयात किए गए माल पर "अहस्तान्तरणीय" और "वास्तविक उपभोक्ता" शर्तें होंगी;

(7) इस लाइसेंस पर निर्यातक को निर्यात आभार पूरा करना होगा। निर्यात आभार 65 प्रतिशत प्रतिपूर्ति के व्युत्क्रम अनुपात में होगा, अर्थात् यदि लाइसेंस रु. 65 के लागत बीमा भाड़ा मूल्य के लिए जारी किया जाता है तो निर्यात आभार का जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य रु. 100 के बराबर अमेरिकी डालरों के रूप में तदर्थ लाइसेंस के जारी होने की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर आधारित होगा। विमुक्ति के समय लाइसेंसधारी की वास्तविक हकदारी निर्यात और आयात नीति 1992—97 के परिशिष्ट-1 में समस्त निर्यात उत्पादों के लिए स्वीकार्य प्रतिपूर्ति दरों के संदर्भ में पुनः संगणित की जाएगी। इस प्रकार के पुनः संगणन की वजह से यदि लाइसेंसधारी की हकदारी रु. 65 के बराबर अमरीकी डालर से जैसा कि (उदाहरण में दिया गया है) अधिक बनती है तो ऐसी स्थिति में संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात, बम्बई अपरिष्कृत हीरों के आयात के लिए 65 रु. से अधिक, जो कुछ भी मूल्य बनता हो, उसके बराबर प्रतिभूति लाइसेंस जारी करेगा;

(8) निर्यातक सामान्य मुद्रा क्षेत्र के देशों को निर्यात करके निर्यात आभार की पूर्ति करेंगे। रुपया भुगतान क्षेत्र को किए गए किसी भी निर्यात को निर्धारित निर्यात आभार की पूर्ति के लिए नहीं गिना जाएगा;

(9) निर्यात आभार की पूर्ति सीमाशुल्क के माध्यम से प्रथम खेप की निकासी की तारीख से 7 माह की अवधि के भीतर की जाएगी;

(10) आयात की प्रथम खेप की निकासी से पूर्व लाइसेंसधारी संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, बम्बई के पास क्षतिपूर्ति एवं गारंटी बन्धपत्र अथवा विधिक-वचनपत्र जैसा भी मामला हो, निम्नलिखित रूप में निष्पादित करेगा :—

(क) यदि लाइसेंसधारी का निर्यात निष्पादन न्यूनतम एक वर्ष का नहीं है तो लाइसेंस के लागत बीमा भाड़ा मूल्य के 50 प्रतिशत के बराबर की धनराशि के लिए; अथवा

(ख) यदि लाइसेंसधारी का निर्यात निष्पादन एक वर्ष या इससे अधिक का है लेकिन तीन वर्षों से कम का है तो लाइसेंस के लागत बीमा भाड़ा मूल्य के 30 % के बराबर की धनराशि के लिए; अथवा

(ग) यदि लाइसेंसधारी तीन वर्षों या इससे अधिक का निर्यात निष्पादन रखता हो तो एक विधिक-वचनपत्र निष्पादित करने की अनुमति दी जाए।

3. संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात, बम्बई तदर्थ लाइसेंसों के निर्गमन को मानीटर करेगा। वह यह सुनिश्चित करेगा कि इस सार्वजनिक सूचना के अनुसरण में जारी किए गए तदर्थ लाइसेंस का कुल मूल्य 6 करोड़ रुपए से अधिक या उसकी अवधि 31 दिसम्बर, 1992 से अधिक नहीं होंगे। जब कभी इन सीमाओं में से कोई सीमा पहले पूरी हो जाये तो आगे कोई लाइसेंस जारी नहीं किए जाएंगे।

4. सार्वजनिक सूचना सं. 55(पी/एन)/92—97 दिनांक 25-9-1992 के अनुसरण में यदि कोई आयात पहले ही किया गया हो तो उसके संबंध में भी उपर्युक्त प्रावधान लागू होंगे।

5. इसे सार्वजनिक हित में जारी किया जाता है।

सी. के. मोदी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE

Public Notice No. 88|(PN)|92—97

New Delhi, the 15th December, 1992

Subject :—Import of Rough Diamonds from RPA countries.

File No. 12|11|92-EPC.—Attention is invited to the Ministry of Commerce Public Notice No. 55|(PN)|92—97 dated 25th September, 1992.

2. In supersession of the provisions contained in para 2 of the aforesaid Public Notice No. 55|PN)|92—97 dated 25-9-1992, it has been decided that in terms of the provisions of para 21 of the Export and Import Policy, 1992—97, Eximscrips or REP licences issued for the purpose of imports from RPA countries can be utilised for import of "Rough Diamonds" from RPA countries, for the purpose of export of cut and polished diamonds to GCA countires, in accor-

dance with the policy|procedure indicated below :—

(i) the total overall import of rough diamonds permitted from RPA countries shall not exceed Rs. 6 crores and such imports are permitted upto 31st December, 1992;

(ii) the imports shall be allowed only through the Bombay Customs;

(iii) the Jt. CCI&E, Bombay shall be the licensing authority for issuing the ad-hoc licences;

(iv) the valid Exim Scrip|REP licences shall be surrendered to Jt. CCI&E, Bombay, alongwith a copy of the Registration-cum-membership certificate issued by the Gem and Jewellery Export Promotion Council|Federation of Indian Export Organisations and the requisite application fee;

(v) the Jt. CCI&E, Bombay shall cancel the valid Exim Scrip|REP licences and shall issue an ad-hoc licence which will be valid for import of rough diamonds from RPA countries only. This licence shall be denominated in Indian Rupees only;

(vi) the ad-hoc licence and the goods imported against it shall carry "non-transferable" and "Actual user" conditions;

(vii) on this licence, the exporter shall be required to fulfil the export obligation. The export obligation shall be in the inverse ratio of 65 per cent replenishment, i.e., if the licence is issued for a c.i.f. value of Rs. 65, the f.o.b. value of export obligation shall be in terms of US Dollars equivalent to Rs. 100 based upon the exchange rate prevalent on the date of issue of the ad-hoc licence. At the time of redemption, the actual entitlement of the licensee shall be recalculated with reference to the replenishment rates admissible for the corresponding export products in Appendix I of the Export and Import Policy, 1992—97. Due to such re-calculation, if the licensee's entitlement comes to more than US Dollars equivalent to Rs. 65 (as in this example) the Jt. CCI&E, Bombay shall issue a Replenishment licence for a value equivalent to whatever is in excess of Rupees 65 for import of rough diamonds;

(viii) the exporter shall fulfil the export obligation by making exports to GCA countries. Any export made to RPA country shall not be counted towards fulfilment of the prescribed export obligation;

(ix) the export obligation shall be fulfilled within a period of seven months from the date of clearance of first consignment through Customs;

(x) before the clearance of first consignment of import, the licensee shall execute an indemnity-cum-guarantee bond or legal undertaking, as the case may be, with the Jt. CCI&E, Bombay in the following manner :—

(a) for an amount equal to 50 per cent of the cif value of the licence if the licensee does not have export performance of minimum one years, or

(b) for an amount equal to 30 per cent of the cif value of the licence, if the licensee has an export performance of one year or more but less than three years; or

(c) a legal undertaking may be permitted to be executed if the licensee has export performance of three years or more.

3. The Jt. CCI&E, Bombay shall monitor the issue of ad-hoc licences. He shall ensure that the total value of ad-hoc licences issued in pursuance of this Public Notice shall not exceed Rs. 6 crores on 31st December, 1992. As and when either of these two limits is reached earlier, no further licences shall be issued.

4. The aforesaid provisions shall also apply in respect of the imports, if any, already made in pursuance of Public Notice No. 55|(PN)|92-97 dated 25-9-1992.

5. This issues in public interest.

C. K. MODI, Director General of Foreign Trade

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993